न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी ::08/2018 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2018/00022

प्रार्थी :–

1. मृतक सवीया पुत्र श्री नवलाजी, जाति–घांची, निवासी ग्राम –गुन्दोज के कानूनी वारिशान :–
   1/1. अमली बाई बेवा सवीया
   1/2. सुजाराम पुत्र श्री सवीया
   1/3. मोहनलाल पुत्र श्री सवीया
   1/4. भंवरलाल पुत्र श्री सवीया
   1/5. कैलाश पुत्र श्री सवीया
   1/6. हीरालाल पुत्र श्री सवीया जातिगण–घांची, निवासीगण ग्राम–गुन्दोज,तहसील–पाली, जिला –पाली, राजस्थान।
   1/7. होदी बाई पुत्री श्री सवीया पत्नी सोनाराम, जाति–घांची, निवासी ग्राम –कूरना, तहसील–पाली, जिला पाली राजस्थान।
2. अमराराम पुत्र श्री भगवानजी
3. दाकु देवी बेवा भगवानजी
4. पवनकुमार पुत्र श्री भगवानजी
5. रमेशकुमार पुत्र श्री भगवानजी
6. ढलाराम पुत्र श्री घीसारामजी
7. लादुराम पुत्र श्री घीसारामजी, तमाम जातिगण – घांची, निवासीगण ग्राम – गुन्दोज, तहसील–पाली, जिला–पाली, राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. राजाराम पुत्र श्री खरताजी, जाति–मेघवाल, निवासी ग्राम–गुन्दोज के कानूनी वारिशान :–
   1/1. हंजा बेवा राजाराम, उम्र 76 वर्ष जाति–मेघवाल, निवासी ग्राम–गुन्दोज, तहसील–पाली जिला–पाली, राजस्थान।
   1/2. जमना पुत्री श्री राजारामजी पत्नी रूघाराम, जाति–मेघवाल, निवासी ग्राम–तोगावास, तहसील–पाली, जिला पाली राजस्थान।
   1/3. मेथकी पुत्री श्री राजारामजी पत्नी मेघाराम, जाति–मेघवाल, निवासी ग्राम–कूरना, तहसील–पाली, जिला–पाली राजस्थान।
   1/4. कुकाराम पुत्र श्री राजारामजी
   1/5. इन्द्रा देवी पुत्री श्री राजारामजी पत्नी भंवरलाल जातिगण–मेघवाल, निवासीगण ग्राम–गुन्दोज, तहसील–पाली, जिला–पाली राजस्थान।
   1/6. मृतक हीराराम पुत्र श्री राजारामजी के कानूनी वारिशान :–
   1/6/1. गीता पत्नी श्री हीराराम,
   1/6/2. रामलाल पुत्र श्री हीरारामजी
   1/6/3. धनु पुत्री श्री हीरारामजी उम्र 13 वर्ष (नाबालिग)
   1/6/4. आशा पुत्री श्री हीरारामजी, उम्र –10 वर्ष जातिगण – मेघवाल, निवासीगण,ग्राम–गुन्दोज, तहसील–पाली,जिला पाली राजस्थान जरिये 1/6/3 एवं 1/6/4 नाबालिग जरये कुदरती वलीया माता गीता पत्नी श्री हीराराम
2. ग्राम पंचायत गुन्दोज, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गुन्दोज, तहसील–पाली, जिला–पाली राजस्थान

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री पी.एम. जोशी
अप्रार्थी की ओर से श्री झुंझाराम परमार

–:: नि र्ण य ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:41:01 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक :– 20/12/21

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के विरूद्ध ... के प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत गून्दोज द्वारा पारित प्रस्ताव ... दिनांक 17.3.1991 एवं मिसल संख्या 8 में पारित आदेश दिनांक 17.3.1991 की पालना में जारी पट्टा संख्या ... दिनांक 3.7.1991 को निरस्त कराने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया तथा बहस उभयपक्ष सुनी गई।

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश.....................2

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी राजाराम द्वारा पट्टा बनाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 18.6.1985 को पेश किया जबकि मिसल की दायरा दिनांक 29.2.86 दर्ज की है। जिसमें कांट छांट है जो 85 है या 86 स्पष्ट नहीं है। प्रथम आदेशिका दिनांक 30.6.1985 को दर्ज की गई जो प्रार्थना पत्र अनुसार तो ठीक है लेकिन पत्रावली दर्ज दिनांक अनुसार सही नहीं है प्रथम आदेशिका में मौका रिपोर्ट लेने का अंकन है उक्त अंकन पट्टे पर अंकित मिसल दर्ज दिनांक 29.2.87 से भी मेल नहीं खाता है लेकिन कमेटी गठन कर तीन वार्ड पंचों को नामित किया गया है जो विधीसम्मत नहीं है। तथा राजाराम का प्रार्थना पत्र संलग्न है जिसके अनुसार उसके पिता खरताराम पुत्र हकमाजी मेघवाल के नाम से पत्रावली बनी हुई होना बताया है तथा पुरानी पत्रावली होने बाबत साक्ष्य सबूत या दस्तावेज आदि पेश नहीं किए है नक्शा पत्रावली संलग्न बनाया हुआ है उस पर नक्शा नवीश के हस्ताक्षर नहीं है मात्र सायल व सरपंच के हस्ताक्षर है। पट्टा कूल 3021 वर्गफुट का जारी किया गयास है। तहसीलदार पाली की मौका रिपोर्ट दिनांक 23.3.2013, व 29.6.2015 तथा पटवार हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 22.5. 2014 तथा उक्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम गून्दोज–।। के खसरा नंबर 1058 रकबा 0. 11 बीघा किस्म गैर मुमकिन बेरा जो राजस्व रेकर्ड अनुसार ढलाराम, आदुराम पिसरान घीसाराम हिस्सा 1/3, सविया पुत्र नवला हिस्सा 1/3, अमराराम पवन कुमार रमेश कुमार पिसरान भगवान, दाखु बेवा भगवाना 1/3 की खातेदारी दर्ज है। तथा मौका रिपोर्ट तहसीलदार पाली दिनांक 29.6.2017 के अनुसार कुल रकबा 19.21 बिस्वांसी यानि 827 वर्गफीट रकबा है जो खातेदारी खसरा नंबर 1058 की भूमी में आता है। जहां राजाराम पुत्र खरता जी मेघवाल का मकान बना हुआ है का हिस्सा है पड़ोस में ही आबादी भूमी खसरा नंबर 1046 है। उक्त भूमी राजाराम पुत्र खरताजी के मकान में मिलाई हुई है उक्त राजाराम का मकान आंशिक रूप से खसरा नंबर 1058 खातेदारी भूमी में आ रहा है एवं पट्टा उक्त सम्पूर्ण भूमी का बना हुआ है जिसे निरस्त फरमाया जावे। वकील प्रार्थी ने अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत DNJ 2004 (Raj.)601, DNJ 2011 (2) DNJ (Raj.) 754, RLW 1967 Pagew-255, RLR 1991 (1) (Raj.) Page 84, DNJ 2005 (2) (Rajasthan) Page 963, DNJ 2003 (J) (Rajasthan) page 1126, DNJ 2017 (Raj.) Page 736, DNJ 2017(Raj.) Page 668, DNJ 2017 (Raj.) 1202, DNJ 2016 (4) (Raj.) Page 1799, DNJ 2018(1) (Raj.) Page 111, DNJ 2019 (Raj.) Page 570 पेश किए।

वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि पट्टा 1046 की आबादी भूमी में जारी किया गया है। इसी आबादी भूमी के पड़ौस में खसरा नंबर 1058 की खातेदारी भूमी भी स्थित है। मौके पर अप्रार्थी का पुराना बाड़ा व मकान पौल बनी हुई है पट्टा जारी करते समय नियमों का पालन किया गया है प्रक्रिया की कुछ कमी रही है तो उसके लिए अप्रार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा पहले अस्थाई तौर पर निर्णय किया गया है आपति इश्तिहार जारी किया गया है तथा पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाकर निर्णय अन्तिम निर्णय दिनाकं 17.3. 1991 को किया गया मकान के फोटो भी पत्रावली संलग्न किए उनकी ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है तथा पट्टा 1991 में जारी किया गया है एवं निगरानी 2010 में पेश की गई है जो 20 वर्ष पश्चात की गई है। जो स्पष्ट रूप से म्याद बाहर होने से निगरानी खारिज फरमाई जावें। भूमी की किमत 1.50 रूपये प्रतिवर्गफीट की दर से 4531.50 रूपये का 1/6 भाग 755.25 रूपये प्रभारित किया तथा बाद में फिर परिवर्तन कर 800/– रूपये वसूल कर पट्टा जारी किया गया है जो विधीसम्मत होने से निगरानी खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने तर्कों की ताईद में न्यायिक दृष्टांत RL[illegible] (1) 479 Brij Lal v/s State of Raj. & ors. (143), RDR 1973 (800) Ra[illegible]hwa[illegible] v/s Jai Singh & anr. (348) भी पेश किए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:41:01 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली में ब[illegible] सुनी गई। पत्रावली एवं ग्राम पंचायत के रेकर्ड का अवलोकन किया गया हैं इस निगरानी के सम्बन्ध में विचारणीय बिन्दु 2 है :–

1. जैर निगरानी पट्टा गैर मुमकिन आबादी में है अथवा रास्ते की भूमी में जारी किया गया है ?
2. क्या उक्त पट्टा नियमानुसार जारी किया गया है ?

क्रमश.....................3

जिला कलेक्टर, पाली

जैर निगरानी पट्टा गैर मुमकिन आबादी में है अथवा रास्ते की भूमी में जारी किया किया गया है इस के संदर्भ में अलग–अलग समय की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। पटवारी हल्का गून्दोज की मौका रिपोर्ट दिनांक 28.5.2010 के अनुसार खसरा नंबर 1058 की खातेदारी भूमी के कुछ हिस्से में राजाराम का पुराना मकान स्थित है। तथा तहसील पाली की रिपोर्ट दिनांक 22.5.2014 के अनुसार खसरा नंबर 1058 की खातेदारी भूमी के GHEF हिस्सा अप्रार्थी के मकान का बना हुआ है तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 3.4.2017 के अनुसार बबूल के कारण जरीब चलाना संभव नहीं हुआ है तथा तहसीलदार की इस न्यायालय के आदेश की पालना में प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 26.9.2017 GFEH हिस्सा खसरा नंबर 1058 की आराजी पर बना हुआ है। उक्त समस्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में राजाराम का मकान आंशिक रूप से खसरा नंबर 1046 (आबादी) में तथा आंशिक रूप से खसरा नंबर 1058 की खातेदारी भूमी में बना हुआ है तथा मूल पट्टा इस पूर्ण हिस्से का बना है। अतः स्पष्ट है कि जारी पट्टे में आंशिक हिस्सा गैर आबादी भूमी में स्थित है। इसलिए जैर निगरानी पट्टे के यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने तर्कों की ताईद में न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए गए जो इस पर चस्पा नहीं होते है।

मिसल पंचायत द्वारा कायम की गई तथा प्रक्रिया की पालना हुई है या कुछ त्रुटि रही है तो उसके अप्रार्थी दोषी नहीं है। मिसल में प्रथम आदेश दिनांक 20.6.1985 को लिखा गया तथा अन्तिम निर्णय दिनांक 17.3.1991 को किया गया उक्त 6 वर्ष की देरी को पट्टा खारिज करने का कारण नहीं माना जा सकता है। मकान (पोल) बनी हुई है तथा आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया है इस प्रकार प्रक्रियात्मक भूल नहीं है। म्याद के सम्बन्ध का प्रश्न निगरानी में लागू नहीं होता फिर भी म्याद हेतु प्रार्थना पत्र व शपथपत्र पेश किया है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत गून्दोज द्वारा प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 17.3.1991 व मिसल संख्या 8 में पारित आदेश दिनांक 3.7.1991 की पालना में जारी पट्टा संख्या 29 दिनांक 3.7.1991 सभी को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20/12/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:41:01 IST
Reason: SelfAttested